(07)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–.....31.....सन् 2013–14

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–8 के अंतर्गत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद

अर्जीकार–गुणानंद प्रसाद प्रतिपक्षी:–राम बाबू राम वगैरह

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	आवेदक का नाम/पता:– गुणानंद प्रसाद पिता स्व0श्यामानंद यादव मुहल्ला– सुरतगंज वार्ड नं. 13/8 मीनी बस स्टैण्ड के पश्चिम थाना–मधुबनी वर्तमान पता:–ग्राम–पिलखबार टोले–मंगरपट्टी थाना–राजनगर, जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षी:– 1–रामबाबूराम पिता स्व0 बिल्टू राम, मुहल्ला प्राईवेट बस स्टैण्ड वार्ड नं. 13/8 थाना एवं जिला–मधुबनी.....प्रति0प्रथम पक्ष 2–हरिनारायण ठाकुर पिता स्व0अशर्फी ठाकुर, मुहल्ला लेथमशीन प्राईवेट बस स्टैण्ड के पश्चिम वार्ड नं. 13/8 थाना–मधुबनी 3–विजय पूर्वे पिता स्व0शिवजी पूर्वे, मुहल्ला लोहापट्टी विजयग्लास हाउस वार्ड नं. 20 थाना–मधुबनी। 4–बेचन यादव पिता स्व0सीताराम यादव, मुहल्ला, प्राईवेट बस स्टैण्ड, वार्ड नं.13/8 थाना–एवं जिला–मधुबनी। .....प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।	
21.8.18	प्रस्तुत वाद आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया एवं निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया। आवेदक ने उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर मधुबनी के न्यायालय वाद संख्या–10/2011–12 रामबाबू राम–बनाम–गुणानन्द यादव अन्य में दिनांक–11.10.2011 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर करते हुये सुनवाई कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया। पुनरीक्षण आवेदन दायर करने में हुये विलम्ब के लिए दफा–5 के तहत विलम्ब क्षांति आवेदन दिया। सभी पक्षकारों को पक्ष रखने हेतु आवेदक के आवेदन में अंकित पता पर निबंधित डाक से सूचना भेजी गयी। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के रूप में श्री रामबाबू राम पिता स्व0 बिल्टु राम निवासी प्राईवेट मिनी बस स्टैण्ड, मधुबनी की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी की गयी एवं पक्ष प्रस्तुत किया गया। एवं 2– एक प्रतिपक्षी–हरिनारायण ठाकुर पे0 स्व0 अशर्फी ठाकुर की ओर से वकालतनामा के साथ पैरवी की गयी किन्तु पक्ष नहीं रखा गया। अन्य प्रतिपक्षी न तो उपस्थित हुये और न ही पक्ष रखा। प्रतिपक्षी रामबाबूराम के ओर से आपत्ति आवेदन में लिखा कि जमाबंदी नं. 2555 बिल्कुल नाजायज, गैरकानूनी है जो रद्द होना आवश्यक है। रिविजन आवेदन खारिज किया जाय। साथ ही प्रत्युत्तर में आवेदक के आवेदन एडमिशन के बिन्दु पर ही खारिज करने का अनुरोध किया। साथ ही सी0डब्लू0जे0सी0नं. 22258/2012 इन्दुशेखर झा –बनाम–राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–27.10.2015 को पारित आदेश की छाया प्रति सबूत के रूप में दाखिल किया गया। आवेदक का आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर पर अंचल अधिकारी, रहिका से स्थल जॉच प्रतिवेदन मांगा गया। जो उनके पत्रांक–1259 दिनांक–05.10.2015 से प्राप्त हुआ। इनका प्रतिवेदन है कि:–	

सी0एस0खतियान का विवरणः–

मौजा	खाता	खेसरा	किस्म	रकवा	खतियानधारी
चकदह	305	101	धनहर–2	0–17–4	मेहू ततमा वो गोसाई वो बनसी, वचू पेसरान पे0 कारी कॉम ततमा सा0 देहे वहिस्से–बराबर।

प्रतिवेदन में दखल–कब्जा के संबंध में उल्लेख किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सूनने के बाद वाद को आदेशार्थ रखा गया।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–

1– पुराना खेसरा नं. 101 रकवा 8 कट्ठा 12 धुर अशर्फी मेहतर को केवाला दिनांक–15.12.1939 के द्वारा सुन्दर महतो की विधवा महगी देवी से खरीद वो हासिल रहती आयी। अशर्फी मेहतर को दो पुत्र बिल्टू राम एवं चिन्ता मेहतर। चिंता मेहतर अविवाहित स्वर्गवासी हो गये अतः कुल सम्पत्ति बिल्टू राम के दखल में आया जिन्होंने केवाला दिनांक–20.08.1970 के द्वारा खुद वो अल्पव्यस्क पुत्रों की हैसियत से खेसरा नं. 101 की भूमि मोहम्मद सिदीक को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया।

2– दिनांक–20.08.1970 को मो0 सिदीक ने एक एग्रीमेंट बिल्टु राम के पक्ष में तामिल कर दिया कि यदि बिल्टु राम दिनांक–20.08.1975 तक कुल जरसेमन वापस कर देते हैं तो मो0 सिदीक उन्हें केवाला वाली भूमि वापस कर देंगे परन्तु बिल्टू राम या उनके वारिसान कभी जरसेमन वापस नहीं कर सके केवाला दिनांक–20.08.1970 के आधार पर मो0सिदीक दखलकार रहते आये।

3– मो0सिदिक ने 31.1.1981 के द्वारा आवेदक के पिता श्यामानन्द यादव को 6 कट्ठा जमीन बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया जिसका जमाबंदी संख्या–2555 कायम हुआ। उक्त खरीदगी जमीन में से श्यामानंद यादव ने चंद अंश बिक्री कर दखल दे दिया। पूनम देवी ने भी अपनी खरीदगी में से चंद अंश बिक्री कर दी। बांकी बचे हुये जमीन पर श्यामानंद यादव ने अपना मकान बनाया।

4– श्यामानंद यादव स्वर्गवासी हो गये। विपक्षी संख्या–1 ने बदनीयति से भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी के न्यायालय में वाद दायर किया जिसे नाजायज ढ़ंग से जमाबंदी सुधार मुकदमा में परिवर्तित कर दिया एवं निम्न न्यायालय ने सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये जमाबंदी रद्दीकरण का गलत आदेश पारित कर दिया। उक्त वाद में निम्न न्यायालय ने न तो आवेदक या श्यामानन्द यादव के अन्य वारिसान को नोटिस दिया और न ही प्रकिया में भाग लेने का अवसर दिया।

5– निम्न न्यायालय ने धारा–49 बिहार टिनेन्सी एक्ट का उल्लेख करते हुऐ फैसला दे दिया कि अनुसूचित जाति के लिए जमीन बिक्री का अनुमति आवश्यक था जो नहीं लिया गया। धारा–49 में कहीं भी रोक का जिक नहीं है बल्कि बिक्री के रोक के संबध में धारा–49 (सी) में है जबकि धारा–49(सी) को माननीय पटना उच्च न्यायालय के पॉच जजों की पूर्ण पीठ ने अपने जजमेंट दिनांक–20.12.1968 के द्वारा निरस्त कर दिया तथा धारा–49(सी) को संविधान के विरूद्ध माना गया जो 1969 बी0एल0जे0आर0पृष्ठ–134 के अवलोकन से स्पष्ट है। पुनः 1970 में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 1970 बी0एल0जे0आर0पृष्ठ 1084 के द्वारा दो जजों की पीठ ने धारा–49 (सी) को असंविधानिक ठहराया तथा जो धारा माननीय उच्च न्यायालय निरस्त कर दिया गया उसी को नाजायज आधार बनाकर निम्न न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया।

6– बिल्टू मेहतर या उनके वारिसानों के द्वारा मोहम्मद सिद्दीक को कभी जरसेमन वापस नहीं किया एवं जाली फरेबी पावति रसीद को भूमि सुधार उप समाहर्ता ने विपक्षी संख्या–1 को फायदा पहूँचाने की नियत से आधार बनाया।

7–इस न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी से स्थल जॉच प्रतिवेदन मांगा गया जो उनसे प्राप्त है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये दखलकारो का उल्लेख कर दिया है जिससे स्पष्ट होगा कि आवेदक एवं आवेदक के पिता से खरीदारान का दखल कब्जा साबित होता है। यह सिद्ध तथ्य है कि जमाबंदी कायम करने में न्यायालय के द्वारा सिर्फ दखल कब्जा देखा जायेगा। पुनरीक्षण वाद स्वीकार योग्य है। भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को निरस्त करते हुये पुनरीक्षण वाद को स्वीकार किया जाय।

<u>प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>

1– खेसरा संख्या–101 का कुल खतियानी रकवा 17 कट्ठा 4 धूर बाबूशेषधारी सिंह की रहती आयी।

2– विपक्षी के पूर्वज डोमू मेहतर ने बाबूशेषधारी सिंह से वर्ष 1906 ई. में ही दो केवाला से 8 कट्ठा 12 धुर जमीन हासिल किया जिस पर दखलकार हुये। शेष रकवा 1939 में डोमू मेहतर के लड़का अशर्फी मेहतर ने निबंधित केवाला के माध्यम से हासिल किया जिस पर दखलकार हुये। इसप्रकार संपूर्ण रकवा निबंधित केवाला के माध्यम से हासिल कर दखलकार हुये।

3– डोमू मेहतर एक लड़का अशर्फी मेहतर को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये वो अशर्फी का एक लड़का बिल्टू मेहतर। बिल्टू मेहतर के लड़कों में से फिदवी एक लड़का वो संध्या देवी विपक्षी की मॉ थी मॉ भी स्वर्गवासी हो गयी। खेसरा संख्या–101 में से 8 कट्ठा 12 धूर का जमाबंदी 14/61 संध्या देवी के नाम जारी हुआ जिसका भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी हुआ एवं मालगुजारी अदाय होता आया वो है।

4– अनुसूचित जाति के जमीन बिक्री सरकार की अनुमति वगैर नहीं हो सकती थी जो बिहार टिनेन्सी एक्ट 1985 की धारा–49 से स्पष्ट हो जायेगा।

5– तथाकथित केवाला के निसवत बिल्टू राम ने कुल जरसेमन वर्ष 1973 मो0 सदीक मियॉ को लौटा दिया वो निसवत उसके मो0 सदीक मियॉ एग्रीमेंट तामिल कर दिया। इस प्रकार मो0 सदीक कुजरा का कोई हक अधिकार नहीं रहता आया। उनके द्वारा किया गया केवाला नाजायज है। उक्त नाजायज दस्तावेज के आधार पर श्यामानन्द यादव ने जमाबंदी नं. 50/139 से दाखिल खरिज बिना फिदवी को जानकारी दिये करवा लिये हैं जो नाजायज है।

6– हकीयत मोकदमा 51/2010में डिक्री दिनांक–19.08.2010 से हकीयत दखल पोख्त सक्षम न्यायालय से भी हो चुका है। बी0टी0एक्ट के दफा 49 के सब दफा (2) (3) (4) से स्पष्ट होगा कि अनुसूचित जाति का जमीन बिना कलक्टर के परमीशन से रजिस्ट्री मान्य नहीं होगा।

7– आवेदक जिस केवाला के बुनियाद पर दावी करते हैं वो आवेदक ने जो जमीन भेण्डर, दर भेण्डर से खरीद किये हैं उनका केवाला ही निरस्त हो चुका है इसलिए आवेदक का कोई टाईटिल नहीं है। आवेदक मात्र परेशान कर रहे हैं। आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाये।

दोनों पक्षों की ओर से अपने–अपने कथन के समर्थन में विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ दाखल की गई।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–10/2011–12/ जमाबंदी सुधार वाद रामबाबू राम–बनाम–गुणानन्द प्रसाद में दिनांक–11.10.2011 को पारित आदेश का मुख्य अंशः–

अनुसूचित जाति के लिए जमीन बिक्री का परमीशन आवश्यक था जो परमीशन नहीं लिया गया वो भी सक्षम न्यायालय से हकीयत मोकदमा 51/2010 ई0 द्वारा आवेदक के पक्ष में फैसला पारित होने के कारण जमाबंदी संख्या–2555 बनाम श्यामानन्द यादव को रद्द करते हुये जमाबंदी नं. 2555 से सृजित अन्य जमाबंदी को भी निरस्त करने का आदेश दिया।

(70)

निष्कर्षः—

आवेदक का आवेदन, प्रतिपक्षी की ओर से की गई आपत्ति–सह–प्रत्युत्तर, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सूनने तथा प्रस्तुत लिखित बहस एवं साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन एवं परिसिलन किया। दोनों पक्षों ने केवाला के माध्यम से भूमि हस्तान्तरण के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया है। किसके पक्ष में किया गया केवाला वास्तविक है इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि ऐसे भू–विवाद के मामला का वास्तविक निराकरण माननीय सिविल न्यायालय से सम्भव है। **संबंधित पक्ष विवाद के समाधान हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।** इसी ऑबजर्वेशन के साथ उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी एवं अंचल अधिकारी, रहिका को भेजें। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

21/8/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

21/8/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

पत्रांक 266/18 मा० दिनांक 21.8.18
आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता ... अंचल अधिकारी, रहिका ...
21.8.18